

आदेश न ब्रजलारा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 110/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एडलवैश एशेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, द्वितीय तल, प्लॉट नम्बर 100, वैशाली मार्ग, वैशाली
नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. शशि सैनी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री मोहनलाल
पता :- प्लॉट नं. 10, प्रेम नगर-11-ई- ब्लॉक, टेकनोलोजिकल पार्क के पीछे, गुर्जर की थडी के
पास, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर।
एवं सुरेन्द्र पब्लिक स्कूल, गजसिंहपुरा, पौवर हॉउस के सामने, अजमेर रोड, जयपुर।
2. श्रवण कुमार सैनी पुत्र रामधन सैनी
पता :- प्लॉट नं. 10, प्रेम नगर-11-ई- ब्लॉक, टेकनोलोजिकल पार्क के पीछे, गुर्जर की थडी के
पास, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर
एवं 26-31, तेलीपाडा चौडा रास्ता, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002

— श्री विकास मैसी, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 11.03.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वित्तीय संस्था रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स
कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री
शशि सैनी के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नम्बर ई-10, प्रेम नगर द्वितीय, ई-ब्लॉक, टेक्नोलॉजी
पार्क के पीछे, गुर्जर की थडी के पास, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज को
बन्धक रख कर दिनांक 30.09.2015 को राशि 07,50,000/-रुपये एवं दिनांक 31.10.2015 को
राशि 04,00,000/-रुपये कुल राशि 11,50,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई
थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर
अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.08.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस
जारी किए गए। रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जरिये
असाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट दिनांकित 20.09.2021 को अप्रार्थी का ऋण खाता प्रार्थी वित्तीय संस्था को
स्थानान्तरित कर दिया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान
नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial
Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



